

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 76/2022 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनाम 1. गलकू पत्नी देवीलाल मीणा निवासी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.10.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम लोडदा की आ.न. 1196/839 कुल रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काशत नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के लगातार अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम लोडदा की आ.न. 1196/839 कुल रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के

७५ -
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम लोडदा के आ.न. 1196/839 कुल रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम लोडदा के आराजी नं. 1196/839 कुल रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम लोडदा की आ.न. 1196/839 कुल रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ब्रह्म लाल जाट)
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा